डिस्कलेमर

आदेश संख्या 06/2021-22 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फाइल संख्या ऐरा/20010एमवाईटीपी/आईओएसपीएल/आईटीपी/मुम्बई/सीपी-III/2021-22

आदेश संख्या 06/2021-22

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

मैसर्स इंडियन ऑयल स्काईटैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड (आईओएसपीएल) के लिए छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई में तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए इंटो प्लेन सेवाएं प्रदान करने के लिए वैमानिक टैरिफ के निर्धारण के मामले में

जारी करने की तारीख : 13 अगस्त, 2021

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली– 110003

अध्याय 13. **<u>प्राधिकरण के निर्णयों का सार</u>**

आईओएसपीएल, मुम्बई के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण संबंधी प्राधिकरण के निर्णयों (प्रत्येक अध्याय के अंतर्गत दिए गए) का सार नीचे दिया गया है:

अध्याय और पैरा		**प्राधिकरण के निर्णयों का सार**	**पृष्ठ संख्या**
अध्याय संख्या 2	2.7.1	प्राधिकरण आईओएसपीएल, मुम्बई के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए "सिंगल टिल" आधार पर "प्राइस कैप अप्रोच" अपनाने का निर्णय लेता है।	16
अध्याय संख्या 3	3.5.1	प्राधिकरण आईओएसपीएल, मुम्बई के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 7 के अनुसार ईंधन थ्रूपुट पूर्वानुमान मानने का निर्णय लेता है।	23
	3.5.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि के वास्तविक ऑफ टेक के आधार पर ईंधन थ्रूपुट (मात्रा) को ट्रूअप करने का निर्णय लेता है।	
अध्याय संख्या 4.	4.6.1	प्राधिकरण आईओएसपीएल, मुम्बई के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 11 के अनुसार पूंजीगत व्यय को मानने का निर्णय लेता है।	29
	4.6.2	प्राधिकरण दिसम्बर, 2022 तक इन परिसंपत्तियों को चालू करने और पूंजीकृत करने में विफल रहने पर यथास्थिति आईटीपी डिपोट/कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (i6 सिस्टम)/साधनों की लागत का 1% तक आरएबी कम करके आईओएसपीएल, मुम्बई के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए आरएबी की पुन: गणना करने का निर्णय लेता है।	
	4.6.3	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय वास्तविक राशियों के आधार पर पूंजीगत व्यय को ट्रूअप करने का निर्णय लेता है।	
अध्याय संख्या 5.	5.4.1	प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 14 के अनुसार मूल्यह्रास को मानने का निर्णय लेता है।	31
	5.4.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय वास्तविक राशियों के आधार पर मूल्यह्रास को ट्रूअप करने का निर्णय लेता है।	
अध्याय संख्या 6.	6.5.1	प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 17 के अनुसार विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी) को मानने का निर्णय लेता है।	34
अध्याय संख्या 7.	7.3.1	प्राधिकरण आईओएसपीएल, मुम्बई के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 19 के अनुसार उचित प्रतिलाभ दर (एफआरओआर) को मानने का निर्णय लेता है।	36
अध्याय संख्या 8.	8.6.1	प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 21 के अनुसार अन्य आय को मानने का निर्णय लेता है।	38
	8.6.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय वास्तविक राशियों के आधार पर अन्य आय को ट्रूअप करने का निर्णय लेता है।	
अध्याय संख्या 9.	9.5.1	प्राधिकरण तालिका 30 में दर्शाए अनुसार प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय को मानने का निर्णय लेता है।	45

	9.5.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय वास्तविक राशियों के आधार पर प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय को ट्रूअप करने का निर्णय लेता है।	
अध्याय संख्या 10.	10.5.1	प्राधिकरण आईओएसपीएल, मुम्बई के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 34 के अनुसार एआरआर का निर्धारण करने के लिए कराधान के प्रावधान को मानने का निर्णय लेता है।	48
	10.5.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय अदा किए गए वास्तविक करों के आधार पर कराधान के प्रावधान को ट्रूअप करने का निर्णय लेता है।	
अध्याय संख्या 11.	11.6.1	प्राधिकरण आईओएसपीएल, मुम्बई के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 40 के अनुसार एआरआर को मानने का निर्णय लेता है।	55
	11.6.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय वास्तविक राशियों के आधार पर एआरआर को ट्रूअप करने का निर्णय लेता है। बशर्ते कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई में आईओएसपीएल की रियायत अवधि बढ़ाई जाए।	
अध्याय संख्या 12.	12.5.1	प्राधिकरण आईओएसपीएल, मुम्बई द्वारा तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रदान की जाने वाली इंटो प्लेन सेवाओं के लिए **संलग्नक-I** के अनुसार टैरिफ दर को मानने का निर्णय लेता है।	60

अध्याय -14 आदेश

रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि-:

(i) आईओएसपीएल, मुम्बई को तृतीय नियंत्रण अवधि (01.09.2021 से 31.10.2024 तक) के लिए संलग्नक **–I** में दिए गए टैरिफ कार्ड के अनुसार इंटो प्लेन सेवाओं के लिए टैरिफ वसूल करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) नई टैरिफों की वसूली 01.09.2021 से प्रभावी होगी।

(iii) इसमें अनुमोदित टैरिफ दरें उच्चतम दरें हैं और इनमें यथा लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

(iv) हवाईअड्डा प्रचालक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्त्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

श्री टी.एस. दुपारे,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
इंडियन ऑयल स्काईटैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड,
बंगलौर अंतरराष्ट्री हवाईअड्डा, देवनहेल्ली,
बंगलौर- 560 300

प्रतिलिपि:

(i) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय,
राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली- 110003

(ii) श्री आर. के. जैन,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, प्रथम तल, टर्मिनल-1
सांताक्रुज (ई.)मुम्बई-400 099